(Speed Post)

संख्या:737 /XXIV-B-3/2020/01(20)2019

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली-110092

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून, दिनांक: 17 मार्च, 2020

विषय: द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल 461 खुडबुडा, देहरादून का स्थान परिवर्तित कर, द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पौंधा रोड प्रेमनगर, देहरादून में संचालित किये जाने हेतु सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: आंग्ल भाषा/9707/2019-20, दिनांक: 15 जुलाई, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल 461 खुडबुडा, देहरादून का स्थान परिवर्तित कर, पौंधा रोड प्रेमनगर, देहरादून में द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पौंधा रोड प्रेमनगर, देहरादून नाम से संचालित किये जाने हेतु सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नही है:-

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त स्कूल द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

(छ) विद्यालय/संस्था मे कार्यरत कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था/स्कूल उनका पालन करेगी।

क्रमशः 2

नुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 मे उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों मे आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. विद्यालय मे अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा एवं बच्चो की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम स्कूल प्रबन्धक द्वारा अनिवार्य रूप से उठाये जायेगें एवं इस दिशा में समय–समय पर मा0 न्यायालय एवं सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विद्यालय प्रबंधन की चूक से विद्यालय में अध्ययनरत किसी बच्चे की सुरक्षा खण्डित होने अथवा बच्चों को जान–माल का नुकसान होने पर विद्यालय प्रबधक के विरूद्व नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा एवं प्रतिकूल स्थिति होने पर अनापत्ति प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दी जायेगी।

7. संस्था/स्कूल द्वारा पर्यावरण के दृष्टिगत स्कूल प्रांगण मे समुचित/पर्याप्त संख्या मे चौडी पत्ती वाले छायादार वृक्ष लगाये जायेगें, स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, सभी सरकारी कार्यक्रमो में यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा विद्यालय मे वाटर प्यूरीफायर, अग्निशमन तथा हाईजनिक टॉयलेट की व्यवस्था की जायेगी।

8. संस्था/स्कूल द्वारा **Juvenile Justice Act** के मानकों का सत्यापन प्रारूप 46 के अनुसार कराने तथा विद्यालयों द्वारा आयकर की धारा 12 क के अन्तर्गत छूट का मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन कराते हुए सूचना निदेशक, मा0शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त का अनुपालन भविष्य मे सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः

पृष्ठांकन संख्या– 737 /XXIV-B-3/2020/01(20)2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) जिलाधिकारी, देहरादून।

(3) अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी।

(4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

(5) प्रधानाचार्य, द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पौंधा रोड प्रेमनगर, देहरादून।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)

सचिव।